न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

रेफरेन्स आवेदन पत्र सं. 03/2022

प्रार्थी– | *बनाम* | **रेस्पोडेंट्स –**

राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार पचपदरा

1. लादू खां पुत्र चानण खां
2. फूसे खां पुत्र चानण खां
3. मरीमों पुत्री चानण खां
4. सरीफों पुत्री चानण खां
5. कमी पुत्र चानण खां
6. मिसरों पुत्री चानण खां
7. बिस्मिला पुत्री चानण खां
8. लाली पुत्री चानण खां
9. पदमी पत्नी चानण खां
10. लालू खां पुत्र देल खां
11. साकर खां पुत्र देल खां
12. अहमद खां पुत्र देल खां
13. शादी खां पुत्र देल खां
14. कमे खां पुत्र देल खां
15. आसीन खां पुत्र लालू खां
16. सफी खां पुत्र लालू खां

जाति मुसलमान निवासीयान बड़नावा चारणान, तहसील पचदपदरा, जिल बाड़मेर

रेफरेन्स आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 21.07.1972 जो सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा मुकदमा नंबर 41/1970 देहला खां बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा में पारित की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थिति :–

1. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री बांकाराम चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश

दिनांक : 26.07.2022

1. प्रार्थी की ओर से उक्त रेफरेन्स आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा मुकदमा संख्या 41/1970 अनवान देहला खां बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 21.07.1972 को विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा रेवाडा आसिया के खसरा नंबर 128/51 रकबा 127–5 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि पर अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के पिता देहला खां ने अपना कब्जा काश्त संवत 2012 से पूर्व का होना प्रकट करते हुए अपने कब्जे काश्त की उक्त भूमि खातेदारी में घोषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा प्रस्तुत वाद में सुनवाई उपरान्त विवादित भूमि में वादी को 127–5 बीघा का खातेदार घोषित करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रतिवादीगण अर्थात ग्राम पंचायत रेवाड़ा आसिया एवं तहसीलदार पचपदरा वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। तहसीलदार पचपदरा द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री को विधिविरूद्ध मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 232 के तहत यह रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को अग्रेषित किये जाने का निवेदन किया है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का समग्र रूप से परीक्षण किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा विवादित भूमि पर प्रार्थी सरकार के पक्ष को सुने बिना ही एक तरफा निर्णय किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के पिता देहला खां के नाम ग्राम रेवाड़ा आसिया के खसरा नंबर 51 में 72–15 बीघा भूमि नियमन की गई थी जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
जालोर

आदेश पुस्तक क्रम संख्या 74 दिनांक 02.05.1965 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 9 से दिनांक 14.04.1966 को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जा चुका था। अधीनस्थ राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा में उक्त वाद 41/1970 प्रस्तुत करते समय देहला खां ग्राम रेवाड़ा आसिया के खसरा नंबर 51 रकबा 72–16 बीघा भूमि का खातेदार था जबकि उक्त वाद में इस नियमन भूमि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार तथ्यों को छुपाकर उक्त 72–16 बीघा भूमि के दस्तावेजों एवं कब्जा संबंधी सबूत/गवाह के आधार पर अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के पिता देहला खां द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/1970 के जरिये पुनः 127–5 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये हैं जिसके वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 से 16 खातेदार दर्ज हैं। अधीनस्थ राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा उक्त प्रकरण में प्रार्थी सरकार के पक्ष को सुने बिना ही एक तरफा निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की गई है तथा विधिविरूद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के पिता देहला खां के खातेदारी में दर्ज करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जिसे निरस्त करने हेतु यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जावे।

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया कि खसरा नंबर 128/51 मौजा रेवाड़ा आसिया की भूमि पर विप्रार्थीगण के पूर्वज वक्त सेटलमेण्ट से पूर्व से ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। खसरा नबंर 51 में से 72–16 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के पिता देहला खां अकेले को नियमन नहीं की गई बल्कि देहल खां पुत्र अमीन खां, चानण खां पुत्र देहल खां, भूरा पुत्र देहल खां सुलेमान पुत्र रूगे खां कौम सिपाही निवासी बडनावा को नियमन की गई। उक्त नियमन देहल खां द्वारा खसरा नंबर 51 में धारित सम्पूर्ण भूमि का नहीं होने से शेष रकबे के लिए घोषणा के अनुतोष का वाद पेश किया गया जिसमें नियमनशुदा भूमि का उल्लेख करना कतई आवश्यक नहीं था। उक्त वाद संख्या 41/1970 में वर्तमान प्रकरण के प्रार्थी ने बतौर प्रतिवादी वाद को प्रतिवादित किया गया था। मूल वाद का विचारण किया जाकर निर्णय डिक्री दिनांक 21.07.1972 को जारी की गई थी जिसकी जानकारी प्रार्थी को आरम्भ से थी। प्रार्थी [illegible] उक्त निर्णय एवं डिक्री का राजस्व रेकर्ड में अमल दरा[illegible] अप्रार्थीगण विगत 35 वर्षों से खातेदारान की है[illegible] पर काबिज काश्त हैं। यदि नियमन वाले तथ्य दावे में उल्लेख कर दिये जाते तब भी मूल वाद पत्र पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उक्त तथ्यों का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि मूल वाद पत्र के विचारण की परिधि बहुत ही विस्तृत होती है। इसके अलावा देहल खां के पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भूमि सीमा से अधिक भूमि न तो पहले थी और न ही आज है। इस प्रकार देहल खां द्वारा किसी प्रकार के तथ्य किसी प्रकार के तथ्य अपने वाद में नहीं छिपाये हैं। प्रार्थी द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध किसी भी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की है तथा यह रेफरेन्स प्रकरण 50 वर्षों की लम्बी समयावधि के पश्चात प्रस्तुत किया है जो कतई उचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री के अनुसरण में नामान्तरकरण स्वीकृत कर खातेदारी इन्द्राज किये गये हैं जो इस निर्णय एवं डिक्री का प्रार्थी की ओर से संस्वीकृति का द्योतक है तथा विधि के अन्तर्गत संस्वीकृति उत्तम साक्ष्य होती है। प्रार्थी द्वारा निर्णय डिक्री पारित होने के 50 वर्षों के बाद यह प्रार्थना–पत्र विप्रार्थीगण से व्यक्तिगत शत्रुता रखने वाले गिरोह के सदस्यों की शह पर विधि के प्रावधानों का दुरूपयोग कर, अपनी पदीय प्रास्थिति का नाजायज फायदा उठाने तथा विप्रार्थी को साशय नुकसान करने की बदनियती से बायस्ड होकर प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है।

6. हमने राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की मूल पत्रावली का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा रेवाडा आसिया के खसरा नंबर 128/51 रकबा 127–5 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि पर अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के पिता देहला खां ने अपना कब्जा काश्त संवत 2012 से पूर्व का होना प्रकट करते हुए अपने कब्जे काश्त की उक्त भूमि खातेदारी में घोषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत किया। सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा प्रस्तुत वाद में सुनवाई उपरान्त विवादित भूमि में वादी को 127–5 बीघा का खातेदार घोषित करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि प्रतिवादीगण अर्थात ग्राम पंचायत रेवाड़ा आसिया एवं तहसीलदार पचपदरा वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें। प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा विवादित भूमि [illegible] सरकार के पक्ष को सुने बिना ही एक तरफा निर्णय किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के पिता देहला खां के नाम ग्राम रे[illegible] नंबर 51 में 72–15 बीघा भूमि नियमन की गई थी जिसके आदेश पुस्त[illegible]क्रम संख्या 74 दिनांक 02.05.

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

1965 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 9 से दिनांक 14.04.1966 को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जा चुका था। अधीनस्थ राजस्व न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा में उक्त वाद 41/1970 प्रस्तुत करते समय देहला खां ग्राम रेवाड़ा आसिया के खसरा नंबर 51 रकबा 72-16 बीघा भूमि का खातेदार था जबकि उक्त वाद में इस नियमन भूमि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रकार तथ्यों को छुपाकर उक्त 72-16 बीघा भूमि के दस्तावेजों एवं कब्जा संबंधी सबूत/गवाह के आधार पर अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के पिता देहला खां द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/1970 के जरिये पुनः 127-5 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये हैं जिसके वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 से 16 खातेदार दर्ज हैं। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का इस संबंध में जवाब में अभिकथन है कि खसरा नबंर 51 में से 72-16 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 10 से 13 के पिता देहला खां अकेले को नियमन नहीं की गई बल्कि देहल खां पुत्र अमीन खां, चानण खां पुत्र देहल खां, भूरा पुत्र देहल खां सुलेमान पुत्र रूगे खां कौम सिपाही निवासी बडनावा को नियमन की गई। उक्त नियमन देहल खां द्वारा खसरा नंबर 51 में धारित सम्पूर्ण भूमि का नहीं होने से शेष रकबे के लिए घोषणा के अनुतोष का वाद पेश किया गया जिसमें नियमनशुदा भूमि का उल्लेख करना कतई आवश्यक नहीं था। यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध किसी भी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की है तथा यह रेफरेन्स प्रकरण 50 वर्षों की लम्बी समयावधि के पश्चात प्रस्तुत किया है जो कतई उचित नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे (राज)2005(2) पेज 843 प्रस्तुत किया जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया है कि युक्तियुक्त समय में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2017(1) पेज 314 व आरआरटी 2016(1) पेज 288 में भी राजस्व मण्डल द्वारा अभिमत दिया है कि यद्यपि रेफरेन्स के लिए कोई मयाद निर्धारित नहीं है किन्तु इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि यह किसी भी समय प्रयुक्त किया जा सके। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त न्यायिक दृष्टांतों का विवेचन करने से पाया जाता है कि आलौच्य निर्णय एवं डिक्री छद्म तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को अंधेरे में रखकर जारी करवाई गई है। अप्रार्थीगण के पुराने कब्जा व आधिपत्य के आधार पर तत्समय प्रचलित राजस्व नियमों के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के पक्ष में भूमि नियमन कर ली गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जे के इन्हीं साक्ष्यों को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विवादित भूमि के शेष रकबे के लिए खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अधिकारों की घोषणा की आलौच्य डिक्री जारी करवा दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 में यह स्पष्ट प्राविधित है कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित किसी प्रकरण अथवा कार्यवाही को उसकी वैधता अथवा पूर्णता के पहलू पर जांच उपरान्त अपास्त किये जाने बाबत राजस्व मण्डल को अग्रेषित किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्यों से ही भली-भांति प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में आलौच्य निर्णय एवं डिक्री छद्म तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को अंधेरे में रखकर जारी करवाई गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु मयाद किसी भी रूप में बाधक नहीं हो सकती तथा प्रकरण के तथ्य ध्यान में आने पर यह कार्यवाही प्रस्तुत की गई है जो विधि अनुकूल है। इस प्रकार हमारे विनम्र अभिमत अनुसार विप्रार्थीगण द्वारा अवैध तरीके से बिना किसी स्वामित्व साक्ष्यों के अप्रार्थी के हक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसे इस रेफरेंस आवेदन पत्र के द्वारा निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रेफरेंस प्रार्थना-पत्र इस अभिशंषा के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किया जाता है कि सहायक कलक्टर (एसडीओ) बालोतरा द्वारा राजस्व वाद सं. 41/1971 में अवैध रूप से विवादित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में इन्द्राज किये जाने के आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 21.07.1972 को निरस्त फरमाया जावे। प्रकरण में राजस्व मण्डल के समक्ष सुनवाई तिथि 12.09.2022 नियत की जाती है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता निर्धारित तिथि पर राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

8. आदेश आज दिनांक 26.07.2022 को सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:28 IST
Reason: SelfAttested